

आवेदक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि

अपनी पुत्री को नियमित रूप से आंगनवाड़ी भेजुंगा/भेजुंगी तथा उसे निरंतर पढ़ाउंगा/पढ़ाउंगी-लिखाउंगा/लिखाउंगी ।

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि, अपनी पुत्री कु..... का विवाह निर्धारित न्युनतम आयु 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही करूँगा/करूँगी ।

मने योजना की शर्तों को भली भांति समझ लिया है यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से क्रय किये गये/नवीनीकृत किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र शासन वापसे लेने हेतु अधिकृत होगा ।

बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तों का पालन न कर पाने की स्थित में तत्काल सूचना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दुंगा/दुंगी ।

दिनांक

आवेदक का नाम

आवेदक के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार फार्म संलग्न किये गये

1. मासिक/आवर्ती/सावधिक/बचत योजनाओं के लिये भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में
2. सम्बंधित एकाउंटों को शासन को प्लेज करने के लिये हस्ताक्षरित आवेदन (पांच प्रति) में
3. आवेदक के मूल निवासी होना परिवार नियोजन अपनाना के सम्बंध में कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र
4. आवासीय प्रमाण पत्र
5. आय प्रमाण पत्र
6. बी०पी०एल० संबंधी प्रमाण पत्र एवं बी०पी०एल० सं०
7. जन्म प्रमाण पत्र

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा दी जानेवाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती..... पत्नी
श्री..... गांव..... परियोजना.....
जिला..... पुत्री कुमारी..... का जन्म दिनांक है
तथा बालिका योजना के पात्र है । बालिका का नाम आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक में पंजीकृत है
तथा प्रमाणित किया जाता है कि बालिका के पिता/माता परिवार नियोजन अपना लिया है और बालिका के
मातापिता के दो ही जीवित संतान हैं ।

नाम
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी.....संस्था.....में दिनांक
.....से पंजीकृत है। पंजीकरण के समय उसकी जन्म दिनांक लगभग
अंकित गई है तथा बालिका योजना के लिये पात्र हितग्राही है।

प्रभारी अधिकारी अनाथ आश्रम/बाल संरक्षण गृह
का नाम एवं हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी का **Vu'kiik ii=**

उक्त दिये गये तथ्य के आधार पर कु.....पुत्री
श्रीमती.....पत्नी श्री.....
निवासी.....परियोजना.....जिलाके नाम 6000/-रु के विभिन्न
बचत योजनाओं में 5 वर्षों तक निवेश/विनिवेश की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जाती है। बालिका का नाम योजना के
हितग्राही रजिस्टर के क्रम संख्यापर पंजीकृत है।

नाम एवं हस्ताक्षर
बाल विकास परियोजना अधिकारी
परियोजना
जिला